अहमदाबाद में बम विस्फोट

940. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद में साम्प्रदायिक दंगों के समाप्त होने के बाद अक्तूबर, 1969 में कई बम विस्फोट हुए थे जिससे यह पता लगता है कि वहां पर बम बनाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन बम विस्फोटों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के क्या नाम हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के क्या नाम हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अहमदबाद में दो विस्फोट, एक 17 अक्तूबर, 1969 को और दूसरा 21 अक्टूबर, 1969 को हुए ।

(ख) और (ग). घटनाओं के सम्बन्ध में मामले दर्ज किये गये और क्रमश: 24 तथा 28 व्यक्तियों को उन मामलों में गिरफ्तार किया गया । मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है । गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम राज्य सरकार से मालूम किये जा रहे हैं ।

पश्चिम बंगाल में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति

941. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री समर गुह :
श्री बेणीशंकर शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल की तेजी से बिगड़ती हुई विधि तथा व्यवस्था की स्थिति और सत्तारूढ़ संयुक्त मोर्चे के एक संघटक बंगला कांग्रेस द्वारा अक्तूबर, 1969 में पास किये गये उस संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें इस सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में जन धन की रक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) घटनाओं की सावधानी से निगरानी की जा रही है ।

हिन्दी में विधेयक तैयार करना

942. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अक्तूबर में जयपुर में हुए विधि मन्त्री सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि भविष्य में सभी विधेयक हिन्दी में तैयार किये जाये ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार भी अपने विधेयक हिन्दी में तैयार करायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) हिन्दी भाषी राज्यों के विधि और भाषा मन्त्रियों के 13 और 14 अक्तूबर, 1969 को जयपुर में हुए सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि हिन्दी भाषी राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि राज्य की विधान सभाओं में प्रस्तावित विधेयकों के मसौदे मूल रूप से हिन्दी में तैयार किये जाते हैं और यह कि वे अंग्रेजी मसौदों के रूपांतर नहीं हैं ।

(ख) राजभाषा अधिनियम की धारा 5(2) को शीघ्र लागू करने की सुविधा के लिए पर्याप्त प्रशासनिक प्रबन्ध करने की व्यवस्था के